महाराष्ट्र शासन

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.७२/३-ओ,

> मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ दिनांक : ३१ जुलै, २०२४

वाचा -

- १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. मावज-२०२१/प्र.क्र१२६/का-३४, दि.१३.०८.२०२१
- २) कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण),कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र.कृमावि/विप्र-४/माध्यम आरा २४-२५/१५६८३/२०२४, दि. १३.०६.२०२४
- ३)माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या दि.१० जुलै, २०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त.

प्रस्तावना -

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सातत्य रहावे यासाठी कृषि विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून सद्यस्थितीत काही शेतकरी अभिनव उपक्रम/तंत्रज्ञान / शेती पध्दती वापरुन उत्पादन व उत्पन्न वाढ करीत आहेत. अशा शेतकऱ्यांचा आदर्श इतर शेतकऱ्यांपुढे ठेवणे, विद्यापीठांनी सदर तंत्रज्ञान शास्त्रोक्त कसोटीवर तपासून अद्ययावत करणे आणि कृषि विभागाने या अभिनव उपक्रम/तंत्रज्ञान / शेती पध्दती यांचा उपयोग इतर शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने विस्तार कार्य हाती घेणे व अशा अभिनव उपक्रमशील शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून इतरांना प्रेरणा देणे आवश्यक आहे. याकरिता विविध प्रसार माध्यमांचा प्रभावीपणे वापर केला जातो. शासनाने कृषि क्षेत्रासाठी घेतलेले महत्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय, शासन शेतकरी हिताकरिता राबवित असलेल्या योजना, प्रगती पथावरील कामे तत्परतेने व परिणामकारकरित्या शेतक-यापर्यंत जाणे गरजेचे आहे. याकरिता छायाचित्रे, लेख, यशोगाथा, पुस्तिक छपाई, पोस्टर, घडिपत्रिका, होर्डिंग, आकाशवाणी व खाजगी रेडीओ वाहिनीद्वारे, जिंगल्स, बसेसवर जाहिराती, फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, व्हॉट्सअप इ. सोशल मिडीयाच्या माध्यमांबरोबरच वृत्तपत्रांतून प्रचार व प्रसिध्दी करण्यात येते.

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात कृषि विभागाच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी लेखाशिर्ष २४०१ ०७५३ अंतर्गत उपशिर्ष २६ "जाहिरात व प्रसिद्धी" साठी रु. १५.०० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १३.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय जाहिराती वितरण धोरणाच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती विहित करण्यात आली आहे. त्यानुसार कृषि विभागाच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या दि.१०.०७.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय:

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये कृषि विभागाच्या विविध योजना इ. च्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या दि.१०.०७.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आलेल्या माध्यम आराखड्यास तसेच तो राबविण्यासाठी येणाऱ्या रु. १४,६९,८७,५०० (अक्षरी रुपये चौदा कोटी एकोणसत्तर लक्ष

सत्त्याऐंशी हजार पाचशे फक्त) इतक्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. या प्रचार व प्रसिध्दी माध्यम आराखड्यानुसार येणाऱ्या अंदाजित खर्चाचा तपशिल सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र "अ" नुसार राहील.

- २. प्रस्तुत बाबींकरिता होणारा खर्च मागणी क्र. डी-०३, २४०१, (०१) (०३) पीक स्पर्धा (कार्यक्रम), २६, जाहिरात व प्रसिद्धी (२४०१ ०७५३) या लेखाशिर्षातर्गत सन २०२४-२५ मधील मंजूर केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा.
- ३. सन २०२४-२५ मध्ये प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रम राबिवण्यासाठी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना कार्यक्रमाचे कार्यान्वयन तसेच संनियंत्रण करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने विषयांकित देयके संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांच्या कार्यालयाकडे थेट सादर करण्यात यावीत. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी प्रस्तुत कार्यक्रम राबविण्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा.
- 8. पीक स्पर्धा योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ मध्ये प्रचार व प्रसिध्दी मोहिम राबविण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेला निधी सन २०२४-२५ या चालू वित्तीय वर्षात पूर्णपणे खर्ची पडेल, याची अंमलबजावणी यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी निधी विनियोगाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास वेळोवेळी सादर करण्याची कार्यवाही करावी.
- ५. प्रस्तुत प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रम राबविण्यासाठी खर्च करतांना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/आदेश/परिपत्रके यानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-१०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७/०४/२०१५ अन्वये निर्गमित नियम पुस्तिका १९७८ मधील तरतूदींचे/अटी व शर्तींचे पालन करुन तसेच खरेदी प्रक्रियेबाबत विहीत तरतूदींचे व कार्यपध्दतीचे आणि काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
- ६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०७३११३०१५६९६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(महेंद्र घाडगे) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति -

- १) मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- २) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२
- ३) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२
- ४) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२
- ५) अपर मुख्य सचिव(वित्त), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- ६) अपर मुख्य सचिव(नियोजन), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- ७) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- ८) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२
- ९) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे

- १०) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे
- ११) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक
- १२) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे
- १३) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,
- १४) महालेखाकार(स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई
- १५) महालेखापाल १/२(लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर
- १६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
- १७) वित्त विभाग (कार्या.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई-३२
- १८) कार्यासन अधिकारी, ४-अं, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालयं, मुंबई.
- १९) निवड नस्ती (कार्यासन-३अे)

विवरणपत्र "अ"

शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक- संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.७२/३-ओ, दिनांक : ३१.०७.२०२४ चे सहपत्र कृषि विभागाच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी माध्यम आराखड्याचा तपशील

| 2T 🚈 | अ) कृषि विभाग विशेष प्रसिध्दी मोहिमेअंतर्गत प्रस्तावित माध्यम आराखडा अ.क्र माध्यम | | | | | | |
|-------|---|---------------|-----------------------|------------|---------|--------------|--|
| अ.क्र | माध्यम | स्वरुप | (पपशाल | रक्कम | संख्या | एकूण अंदाजीत | |
| | | <u> </u> | | (प्रती नग) | | रक्कम | |
| 9. | निर्मिती साहित्य | प्रिंट | प्रिंट आणि इतर बाह्य | 90,000 | 90 | 9,00,000 | |
| | (Production of | | माध्यमांकरिता | | | | |
| | creative) | | जाहिरातींचा मजकूर | | | | |
| | | | (Adaption, | | | | |
| | | | translation, | | | | |
| | | | Formating from | | | | |
| | | | one media to | | | | |
| | | | other media) | | | | |
| | | टिव्हीसी | TVC-ξο secAs | 0,00,000 | ५ | 34,00,000 | |
| | | | per DAVP rate | | | | |
| | | जिंगल्स/स्पॉट | Audio Jingle (ξο | 84,000 | 4 | २,२५,००० | |
| | | | sec) | | | | |
| | | | Total -A | | | ३८,२५,००० | |
| क्र. | Media | मूळ दर , | Details | वारंवारिता | संख्या/ | एकूण अंदाजित | |
| | | प्रक्रिया | | | दिवस | रक्कम | |
| 9. | वृत्तपत्र (News | शासनमान्य | वृत्तपत्र जाहिरात | C1 | १ दिवस | 9,00,00,000 | |
| | Papers) | दर | (राज्यातील अ वर्ग | अंदाजित | | | |
| | | | संवर्गातील निवडक | रकमेच्या | | | |
| | | | मराठी दैनिके) | मर्यादेत | | | |
| २. | दूरदर्शन | केंद्र | टिव्हीसीचे प्रसारण- | नमूद | ३० दिवस | २०,००,००० | |
| | | सरकारचा दर | सायं.७.०० | अंदाजित | | | |
| | | | बातम्यांच्या पूर्वी व | रकमेच्या | | | |
| | | | मध्यंतरात जाहिरात | मर्यादेत | | | |
| | | | प्रसारण | | | | |
| ₹. | आकाशवाणी केंद्र | केंद्र सरकार | जिंगल्स/स्पॉटचे | नमूद | ३० दिवस | २०,००,००० | |
| | | दर | राज्यातील सकाळी | अंदाजित | | | |
| | | | ७.१० आणि | रकमेच्या | | | |
| | | | सायंकाळी ७ वाजता | मर्यादेत | | | |
| | | | बातम्यांचा मध्यंतरात | | | | |
| | | | एक वेळा (केंद्र | | | | |
| | | | शासनाचे दर) | | | | |
| ٧. | कम्युनिटी रेडिओ | केंद्र सरकार | जिंगल्स/स्पॉटचे | नमूद | ३० दिवस | २५,००,००० | |
| | | दर | राज्यातील सुमारे | अंदाजित | | | |

| | | | कम्युनिटी रेडिओचे प्रसारण | रकमेच्या मर्यादेत | | |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------|-------------|
| 4. | मराठी वृत्तवाहिन्या | CBC(DAVP) यादीवरील व दर | ४५ ते ६० सेकंद | नमूद अंदाजित रकमेच्या | ३० दिवस | 40,00,000 |
| ξ. | एफ एम वाहिन्या | CBC(DAVP) यादीवरील व दर | ४५ ते ६० सेकंदाच्या जाहीरातींचे राज्यातील १६ एफ एम वाहिन्याच्या ६० स्टेशनवरून प्रत्येक बॅडमध्ये प्रस्तावित नमूद दराच्या मर्यादेत समसमान जाहिरात प्रसारण (DAVP दर) | नमूद अंदाजित रकमेच्या मर्यादेत | ३० दिवस | 40,00,000 |
| 9. | सोशल मिडीया (Social Media) | विहीत ई- निविदा प्रक्रियेद्वारे | शासन निर्णय दि.२३.११.२०२३ मधील संस्थांच्या सुचीमधील संस्थांच्या संस्थांमार्फत विहीत कार्यपध्दतीचे अवलंब करून प्रसिध्दी करणे शक्य होईल. या माध्यमांच्या संस्थेनी निविदेमध्ये नमूद केलेल्या दराने प्रसिध्दी करण्याचे प्रस्तावित | नमूद अंदाजित रकमेच्या मर्यादेत | ३० दिवस | २,५०,००,००० |
| ۷. | डिजीटल मिडीया | विहीत ई- निविदा प्रक्रियेद्वारे | शासन निर्णय दि.२३.११.२०२३ मधील संस्थांच्या सुचीमधील संस्थांमार्फत विहीत कार्यपध्दतीचे अवलंब करून प्रसिध्दी करणे शक्य होईल. या | नमूद अंदाजित रकमेच्या मर्यादेत | ३० दिवस | 9,00,00,000 |

| | | | माध्यमांच्या संस्थेनी | | | |
|-----|--|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------|--------------|
| | | | | | | |
| | | | निविदेमध्ये नमूद केलेल्या दराने | | | |
| | | | प्रसिध्दी करण्याचे | | | |
| | | | - | | | |
| | 0 | | प्रस्तावित | | - 0- | |
| ۶. | मराठी बल्क एसएमएस | CBC(DAVP) | शासन निर्णय | नमूद | ३० दिवस | २,५०,००,००० |
| | | दर | दि.२३.११.२०२३ | अंदाजित रकमेच्या | | |
| | | | मधील संस्थांच्या | रकमच्या मर्यादेत | | |
| | | | सुचीमधील | नपापरा | | |
| | | | संस्थांमार्फत विहीत | | | |
| | | | कार्यपध्दतीचे | | | |
| | | | अवलंब करून | | | |
| | | | प्रसिध्दी करणे शक्य | | | |
| | | | होईल. | | | |
| 90. | प्रदर्शन /बीटिएल | विहीत ई- | कृषि विभागाच्य | नमूद | १५ दिवस | 9,40,00,000 |
| | ॲक्टीव्हीटी | निविदा | विविध योजनांविषयी | अंदाजित | | |
| | | प्रक्रियेद्वारे | जनजागृती करणे, | रकमेच्या | | |
| | | | (घृष्णेश्वर, परळी | मर्यादेत | | |
| | | | वैजनाथ, औंढा | | | |
| | | | नागनाथ, त्र्यंबकेश्वर, | | | |
| | | | शेगाव, रामटेक | | | |
| | | | इत्यादी ठिकाणी) | | | |
| 99. | खासगी होर्डिंग | CBC(DAVP) | राज्यातील खासगी | नमूद | ३० दिवस | २,००,००,००० |
| | | दर | होर्डिंग | अंदाजित | | |
| | | | | रकमेच्या | | |
| | | | | मर्यादेत | | |
| ٩२. | लोकराज्य माध्यमातून | | | | | 90,00,000 |
| | जनजागृती | | | | | |
| | | | Total - B | | | 9२,२५,००,००० |
| | | | Total (A+B) | | | 9२,६३,२५,००० |
| ٩. | शा.नि.दि.१३.०८.२०२१ | शासन निर्णय | माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला | | | ३५,२६,५०० |
| | नुसार रु.५ कोटी | तरतूदीनुसार | येणारा कार्यालयीन उपकरणावरील खर्च, | | | |
| | इतक्या रकमेपर्यंतच्या | | सॉफ्टअवेर, तात्पुरत | | | |
| | प्रसिध्दी | | संशोधन खर्च, वाहतू | | | |
| | आराखड्यासाठी एकूण | | खर्च | | | |
| | खर्चाच्या ४% (रु.२० | | | | | |
| | लाख) आणि त्यापेक्षा | | | | | |
| | प्रत्येक वाढीव | | | | | |
| | रकमेसाठी २% (उर्वरित | | | | | |
| | रकमेवर (रु.५ कोटी | | | | | |
| | वजाजाता)) प्रमाणे | | | | | |
| | ······································ | | <u> </u> | Total | | 9२,९८,५१,५०० |
| | Total | | | | | |

| | ब) कृषि आयुक्तालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या बाबी खालीलप्रमाणे | | | | | | |
|----|--|-----------------|----------------|----------|-------------|--|--|
| 9. | प्रचार प्रसिध्दी | विहीत ई- | | नमूद | 9,80,00,000 | | |
| | साहित्यांचे डिझाईंग व | निविदा | | अंदाजित | | | |
| | छपाई (पुस्तिका, | प्रक्रियेद्वारे | | रकमेच्या | | | |
| | घडीपत्रिका, पोस्टर, | | | मर्यादेत | | | |
| | होर्डिंग, बॅनर बॅकड्रॉप व | | | | | | |
| | इतर अनुषंगिक छपाई) | | | | | | |
| ٩. | व्हिडिओ तयार करणे | विहीत ई- | याविषयक खर्च व | नमूद | 39,3६,००० | | |
| | (सर्व जिल्हासतर) | निविदा | इतर कार्यालयीन | अंदाजित | | | |
| | | प्रक्रियेद्वारे | अनुषंगिक खर्च | रकमेच्या | | | |
| | | | इत्यादी | मर्यादेत | | | |
| | | | | | 9,69,38,000 | | |
| | TOTAL EXPENDITURE अ+ब | | | | | | |
